

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उत्तर प्रदेश

संख्या: सी-253/ई-1.

लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-84/2015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक-22.12.2015 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक-24.11.2017 में निहित प्राविधानानुसार श्री अशोक कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता, (शारदा सहायक), लखनऊ को अपने वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सरयू नहर परि0-प्रथम), अयोध्या, मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-2), गोण्डा एवं मुख्य अभियन्ता, (अनुसंधान एवं नियोजन) लखनऊ का कार्यभार नितान्त कामचलाऊ व्यवस्थान्तर्गत अग्रिम आदेशो तक सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्वारा निर्गत किये जाते हैं।


इस निमित्त श्री अशोक कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता को अतिरिक्त कार्यभार हेतु कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

अनिल कुमार  
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

संख्या: सी-253/ई-1/तदिनांक 31/07/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-84/22015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक-22-12-15 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक-24-11-2017 के अन्तर्गत उक्त किये गये आदेश का औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।
2. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मध्य)/(नियोजन)/(पूर्व) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/गोरखपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक)/(सरयू-1)/(सरयू-2)/(अनुसंधान एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/अयोध्या/गोण्डा।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जांच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर केन्द्र), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-3), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

  
(रमेश चन्द्र) 31/7/2023  
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)